मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक :400/आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल दिनांक 01/07/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
राज्य शासन के समस्त निगम/मंडल/
बोर्ड एवं अन्य उपक्रम मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य शासन के वित्तीय प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमॉक : 120/आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल दिनांक 10 मार्च 2019

000

संदर्भित परिपत्र के पैरा 6 में पूंजीगत कार्यो के वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिए सूचकांक तथा सूचकांक की गणना की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया हैं ।

2/– वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रथम चार माहों के लिए लेखानुदान पारित हुआ है एवं पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित होना प्रक्रिया में हैं ।

3/– यह देखने में आया है कि सूचकांक की गणना वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखानुदान के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए तद्नुसार आनुपातिक प्रावधान मानते हुए अथवा विभाग द्वारा पूर्व में भेजे गए बजट प्रस्तावों के आधार पर की जा रही है । विभागों द्वारा पृथक–पृथक मापदण्ड से की जा रही गणना के स्थान पर समान मापदण्ड से गणना की जाने की आवश्यकता है । अतः सूचकांक की गणना में वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता, गत तीन वित्तीय वर्षो (वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) के बजट अनुमान में पूंजीगत मद में किए गए प्रावधान के वार्षिक औसत को लिया जाए ।

4/– उपर्युक्त पैरा 3 अनुसार गणना की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020–21 के पूर्ण बजट के उपलब्ध होने की तिथि तक रहेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(अमित राठौर)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमॉक : 401 /आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल, दिनांक 01/07/2020

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,मध्यप्रदेश लेखा भवन बुक 1 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग